Aviation NOC

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय

AIRPORTS AUTHORITY OF IN
WESTERN REGION HQRS.

द्रुतगामी डाक/SPEED POST

NOC FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY

(केवल ऊँचाई के क्लिअरंस् के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)

N.O.C.

पत्र संख्या.: बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/11/बीओ/100 / 69 - 72

दिनांक : 26/07/2011.

सेवा में,
Shri Vinubhai B. Patel
110, Narmada Appartment,
Raopura, **Vadodara.**

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल
पश्चिमी क्षेत्र केस न.मुं/11/ बीओ/100)

विषय : प्रस्तावित भवन निर्माण / चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना । (केस न .मुं/11/ बीओ /100)

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 16/03/2011 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को M/s Bhaghirath Developers , वडोदरा , जिन्हे इस पत्र मे आगे आवेदक कहा ग द्वारा (स्थान संख्या R. S. No. 393, Village Bapod, Dist. Vadodara, पर प्रस्तावित भवन 42.00 म Forty Two Deci Zero Zero) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लि आपत्ति नहीं हैं, बशतें कि प्रस्तावित भवन / संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 42.00 मीटर (Above G Level) धरातल के उपर + 40.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) = 82.00 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S अधिक न हो ।**

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उ समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात 40.00 मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आ धाव पथ के सिरों से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए है । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिध्द हो जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आकडों से भिन्न है और इसके ,द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, तं संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिक आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्र निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकडों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके 3 समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमा प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी.ॲन्टेना, तडित चालक / निरोधक सीढियाँ, ऊँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएगें ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्टी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

ए.टी.एस. कॉम्प्लेक्स, सहार कार्गो के पास, सुतार पखाडी रोड, सहार, मुंबई - 400 099. Tel.: 91-22-26813[illegible]
ATS Complex, Near Sahar Cargo, Sutar Pakadi Road, Sahar, Mumbai - 400 099.

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से **5 (Five)** वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा । यदि भवन संरचना चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि **5 (Five)** वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारती विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । जिस दि भवन संरचना /चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशव पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए ।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयो न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है ।

**	42.00	M AGL
+	40.00	M RL
	82.00	M AMSL

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures eg. Wirele TV antennas, Mumties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc)

*** Day & Night markings with secondary power supply may be provided as ICAO standards.**

This NOC is issued with the approval of Competent Authority as per S.O. 84 (E).

(एस. के. दासगुप्ता)
उप महा-प्रबंधक(ए.टी.सी./ एन्.ओ.सी.)
कृते महाप्रबंधक (विमानक्षेत्र) प.क्षे.

प्रतिलिपीः-1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी एम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.),राजीव गांधी भवन,स एयरपोर्ट,नई दिल्ली-3.
2. कनिष्ठ टाऊन प्लानर, अर्बन डेवेलेपमेन्ट ऑथोरिटी, वडोदरा
3. विमानपत्तन निदेशक , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वडोदरा
4. Asstt. G.M. (Vigilance)
5. गॉर्ड फाईल.